

## उत्तराखण्ड सार्वजनिक एवं नजी संपत्तिका विस्तार वधियक

### चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा लाए गए संपत्तिका नुकसान की वसूली की तरज़ पर उत्तराखण्ड एक वधियक लाने की तैयारी में है।

### मुख्य बडि:

- इस कानून के तहत वरिध प्रदर्शनों और हड़तालों के दौरान हुए सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी।
- एक सेवानवित्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक [न्यायाधिकरण](#) राज्य की शिकायत के बाद पहचाने गए आरोपियों के खिलाफ आरोपों की जाँच करेगा।
  - नुकसान की वसूली के लिये आकलन और आदेश सरकार तथा अन्यथा प्रभावति पक्षों के साथ वसित चर्चा के बाद ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किये जाएंगे।
- सार्वजनिक संपत्तिका हुए नुकसान की भरपाई के लिये वधियक लाने का फैसला उत्तराखण्ड के [हलद्वानी में हुई हसिा](#) के बाद आया।
- ज़िला प्रशासन और नागरिक निकाय द्वारा [अतिक्रमण वरिधी अभियान](#) में [नज़ूल \(सरकारी\) भूमि](#) पर बनी एक मसजदि तथा मदरसे को ध्वस्त करने के बाद हसिा भड़क उठी।

### अतिक्रमण

- यह कसिी और की संपत्तिका अनधिकृत उपयोग अथवा कब्ज़ा करने से है।
- यह **परतियकत या अपरयुक्त स्थानों पर हो सकता है** यदकानूनी मालिक इसके रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है।
- संपत्तिका स्वामियों को ऐसे मामलों से संबंधति वधिकि प्रक्रिया और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना अत्यावश्यक है।
- इसमें उचित अनुमत अथवा कानूनी अधिकारों के बनिा संपत्ति पर अवैध निर्माण, कब्ज़ा अथवा कसिी अन्य प्रकार का कब्ज़ा शामिल हो सकता है।
- **भारतीय दंड संहति (IPC), 1860 की धारा 441** में भूमि अतिक्रमण को परभाषति कया गया है जिसके अनुसार कसिी अन्य के कब्ज़े की संपत्ति पर अपराध करने अथवा वयक्त को, जिसके कब्ज़े में ऐसी संपत्ति है, भयभीत करने अथवा वधिपूरवक रूप से संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमतिकाे बनिा कसिी और की संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करने का कार्य अतिक्रमण है।

### नज़ूल भूमि

- नज़ूल भूमिका स्वामतिव सरकार के पास है लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्तिकाे रूप में प्रशासति नहीं कया जाता है।
  - राज्य सामान्यतः ऐसी भूमिकाे कसिी भी इकाई को **15 से 99 वर्ष** के बीच **एक नश्चति अवधिकाे लिये पट्टे** पर आवंटति करता है।
- यदपट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई वयक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के **राजस्व वभाग को एक लखिति आवेदन** जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिये प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
- सरकार पट्टे को **नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने**- नज़ूल भूमि वापस लेने के लिये स्वतंत्र है।
  - सरकार सामान्यतः नज़ूल भूमिकाे उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे- स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदिकाे निर्माण के लिये करती है।

